कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

सन्दर्भ संख्या : ....
दिनांक : ....

कार्यालय आदेश

श्री लालू कन्नौजिया पुत्र श्री नथुनी कन्नौजिया छात्र एम.ए. भूगोल, शैक्षिक सत्र 2018–19ए लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान इनके द्वारा छात्रोचित मर्यादाओं के प्रतिकूल कृत्य का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

दिनांक 12.01.2019 को लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित विभिन्न भवनों की दीवालों पर पोस्टर चिपकाकर दिनांक 16.01.2019 को अपरान्ह 12:00 बजे द्वार संख्या 01 पर एकत्र होकर माननीय कुलपति महोदय का घेराव करने की सूचना–छात्राओं के मध्य प्रसारित कर विश्वविद्यालय की व्यवस्था प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया, जबकि कुलानुशासक के पत्र संख्या 2936–2963 दिनांक 15.07.2017 द्वारा विश्वविद्यालय की भवनों एवं दीवारों पर बैर एवं पोस्टर चिपकाना तथा लिखावट आदि करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनके इस कदाचरण के सम्बन्ध में कुलानुशासक के पत्र संख्या 95 दिनांक 14.01.2019 द्वारा श्री लालू कन्नौजिया को कारण बताओं सूचना निर्गत की गयी थी।

श्री लालू कन्नौजिया को निर्गत कारण बताओं सूचना पत्र संख्या 95 दिनांक14.01.2019 का इन्होंने जो प्रतिउत्तर दिया वह भ्रामक एवं तथ्यों से परे है। श्री लालू कन्नौजिया ने दिनांक 21.02.2019 को लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित केन्द्रीय मेस संचालक से अपने एवं अपने साथियों के लिये मनपसन्द नाश्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, परन्तु मेस संचालक ने जब इनके आदेशों का पालन नहीं किया तो यह अत्यन्त उत्तेजित हो गये और मेस संचालक के साथ अभद्र व्यवहार किया। दिनांक 21.02.2019 को कुलानुशासक मण्डल द्वारा परिसर निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि श्री लालू कन्नौजिया लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में जगह–जगह अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रोचित मर्यादाओं के प्रतिकूल आचरण कर विश्वविद्यालय की व्यवस्था प्रभावित कर दिनांक 25.02.2019 से प्रस्तावित शैक्षणिक सत्र 2018–2019 की वार्षिक परीक्षा में व्यवधान डालकर गरिमामय उच्च शैक्षणिक संस्थान की छवि धूमिल करने का सतत् प्रयास कर रहे थे।

कुलानुशासक मण्डल की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2019 एवं श्री लालू कन्नौजिया द्वारा कारित कदाचरण तथा दिनांक 25.02.2019 से प्रस्तावित लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के हित में श्री लालू कन्नौजिया को कुलानुशासक कार्यालय के आदेश संख्या संख्या 559 दिनांक 21.02.2019 द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रत्व से निलम्बित कर छात्रोचित समस्त सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। श्री लालू कन्नौजिया को जब अपने निलम्बन की सूचना प्राप्त हुई तो यह अत्यन्त उत्तेजित हो गये और केन्द्रीय मेस संचालक को अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। यही नहीं श्री लालू कन्नौजिया ने केन्द्रीय मेस संचालक को यह भी धमकी दी कि यदि आप अपनी शिकायत वापस नहीं लेगें तो वह आत्महत्या कर लेगें और मेस संचालक को संगीन धाराओं में फसा देगें। इनकी इस धमकी का संज्ञान लेकर कुलानुशासक कार्यालय के पत्र संख्या 573 दिनांक 22.02.2019 द्वारा प्रभारी निरीक्षक, हसनगंज, लखनऊ को सूचना दी गयी।

अभिरक्षक, हबीबुल्ला छात्रावास, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 07.03.2019 द्वारा यह सूचना दी कि श्री लालू कन्नौजिया अवैध रूप से उनके छात्रावास परिसर में जाते हैं और वहां अन्तःवासी छात्रों के कक्ष में रात्रि में निवास करते हैं। श्री लालू कन्नौजिया के भय एवं आतंक से छात्रावास के कर्मचारी आतंक से अत्यन्त भयभीत है तथा इनके विरूद्ध शिकायत करने का साहस नहीं कर पा रहे है। श्री लालू कन्नौजिया छात्र एम.ए. भूगोल से सम्बन्धित प्रकरण की आद्योपान्त विवेचना हेतु कुलानुशासक मण्डल के तीन सदस्यों की दिनांक 22.02.2019 को एक जॉच समिति गठित की गयी, जॉच समिति के सदस्यों ने दिनांक 26.04.2019 को जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री लालू कन्नौजिया पुत्र श्री नथुनी कन्नौजिया का पठन–पाठन से कोई सरोकर नहीं है। यह सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय की छवि धूमिल कर रहे हैं। इनके क्रिया–कलाप से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् प्रतिभाशाली एवं होनहार छात्रों एवं उनके माता–पिता के मस्तिष्क पटल पर कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे विश्वविद्यालय को अपूर्णनीय क्षति हो रही है।

कु. प. डॉ.

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ–226007

सन्दर्भ संख्या : ....

दिनांक : ....

उपरोक्त वर्णित हिसंक एवं अपराधिक प्रवृत्ति के कारण कुलानुशासक मण्डल द्वारा की गई अनुशंसा "श्री लालू कन्नौजिया पुत्र श्री नथुनी कन्नौजिया छात्र एम.ए. भूगोल निवासी –ग्राम पोस्ट उतरांव जिला –गाजीपुर (उ.प्र.) को तात्कालिक प्रभाव से विश्वविद्यालय से निष्कासित करने तथा भविष्य में इन्हें विश्वविद्यालय एवं इससे सहयुक्त अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेष न दिया जाय जो इनके जैसा कदाचरण करने वाले छात्रो के लिये अनुकरणी हो"। कुलानुशासक मण्डल द्वारा की गयी उक्त अनुशंसा पर कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा सहमति व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 09.05.2019 के अनुपालन में छात्र श्री लालू कन्नौजिया पुत्र श्री नथुनी कन्नौजिया छात्र एम.ए. भूगोल में शैक्षिक सत्र 2018–19 ग्राम व पोस्ट–उतरांव, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को तात्कालिक प्रभाव से लखनऊ विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है एवं भविष्य में इन्हें विश्वविद्यालय एवं इससे सहयुक्त अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश न दिये जाने के आदेश निर्गत किया जाता है।

(एस0 के0 शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या GA–9687–701 दिनांक 25/05/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव प्रतिकुलपति, मा0 प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त् संकायाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय।
4. समस्त् प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक विधिक प्रकोष्ठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुलानुशासक , लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. मुख्य अभिरक्षिका, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. अभिरक्षक, हबीबुल्ला छात्रावास, लखनऊ विश्वविद्यालय।
10. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. ओ0एस0डी0, आई0 एम0एस0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12. समस्त् उपकुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
13. श्री लालू कन्नौजिया पुत्र श्री नथुनी कनौजिसर छात्र एम.ए. भूगोल में शैक्षिक सत्र 2018–19 ग्राम व पोस्ट–उतरांव, जिला–गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, मो0नं0–96482977733, 8707465817।
14. निजी सचिव, कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
15. इंचार्ज वेबासाइट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं समस्त् प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

Smisha
उपकुलसचिव